

2022/538

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

सत कीर्ति साहस कावेर्य मुकाम खिंडवा

वकील बनाते एच. एम. जोशी बनाम फतेह गोडबोले

मुकदमा नं. 353, 28, 128 R (17) सं. 319/2022 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>29/7/20 आज यह वाद वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अ. / धारा 388, 389, 390 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण को सम्मान जारी और भिसल दिनांक: 30/8/20 को पेश हो</p> <p>सहायक कलक्टर डीडवाना</p> <p>30/8/20 पत्रावली पेश हुई। वार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, भिसल दिनांक 31/10/22 को पेश हो। 2</p> <p>31/10/22 वकील वादी उप.। प्रतिवादीगण के सम्मान तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है अन्यथा OGR 45 CPC के तहत कार्यवाही अदालत में लम्बी जायेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/12/22 को पेश हो। 2</p> <p>28/12/20 पत्रावली पेश हुई। वार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, भिसल दिनांक 27/2/22 को पेश हो। 2</p> <p>20/4/23 पत्रावली पेश हुई। वार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, भिसल दिनांक 12/4/23 को पेश हो। 2</p> <p>17/6/23 कर्मचारीयों के सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 12/6/23 को पेश हो। 2</p> <p>17/7/23 पत्रावली पेश हुई। वार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, भिसल दिनांक 18/7/23 को पेश हो। 2</p>	



10/7/23

पत्रावली पेश हुई।
गिरफ्तारी अधिकारी दौरे, भ्रमण/अवकाश पर अन्य कार्य के कारण
है। पत्रावली दिनांक 5/9/23 को पेश हो।

आज्ञा से
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना

2/5/24
Presented by A.D.
Examiner & Report
29/07/22
सेवासे,

5/9/23

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा. अवकाश,
अन्य कार्य। दौरे पर पधारे हैं, भिसल
दिनांक 10/10/23 को पेश हो।

10/11/23

पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती
कार्य स्थगित रखा है, भिसल दिनांक 2/12/23
को पेश हो।

7/1/24

पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती
कार्य स्थगित रखा है, भिसल दिनांक 22/1/24
को पेश हो।

22/4/24

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् P.O. सा.
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे
भिसल दिनांक 24/6/24 को पेश हो।

28.5.2024

कारीगण के इन्वेन्टरी पर पत्रावली आज पेश हुई।

कारीगण तथा उनके अधीनस्थ उपस्थित।

कारीगण ने जमानत का फेमा हर निवेदन दिया कि

पसकाम के मध्य शरीरगत है जिनके कारण वह कारीगरी
पल्लन नही जा रहे हैं इसलिए दस्ता जरूर गिरावले के
कारण दिया जावे।

गिरावले पर सुना गया व रेकर्डक अपलोड कर दिया गया।

कारीगण अपने बाद के पल्लन नही जा रहे हैं अतः दस्ता
हस्तागत करीगण हस्तागत बाद जरूर गिरावले करीगण
दिया जावे।

निर्दिष्ट पल्लन गया।

पत्रावली अपने गहर के इन्वेन्टरी करीगण हस्तागत है।

inks

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
डीडवाना



क. वि. मंगल



क. वि. सुलेश



क. वि. सुलेश

Beet
A.W.

सेवक
वाल्मीकि